मध्यप्रदेश शासन

बजट के मुख्य बिन्दु

बजट अनुमान

वर्ष 2023-2024

बजट प्रस्ताव 2023-24 के मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2023-24 का बजट प्रथम बार ई-बजट के रूप में विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है।
- इस बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में प्रारंभ की गई हैं।
- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
- इस बजट का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब वर्ग, आम जनता को नई शक्ति, नई दिशा व विश्वास देना है। यह बजट समावेशी बजट है।
- भारत की अर्थव्यवस्था को **5 ट्रिलियन डॉलर** की बनाने हेतु राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने हेतु कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत प्रावधान

बजट प्रावधान

- कुल विनियोग की राशि ₹ 3,14,025 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय ₹ 2,81,554 करोड़ का प्रावधान
- राजस्व आधिक्य ₹ 412.76 करोड़
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.02% अनुमानित
- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,25,710 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 86.500 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 80,184 करोड़, करेत्तर राजस्व ₹ 14,913 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 44,113 करोड़ शामिल
- वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 11% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में 11% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित

- वर्ष 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% अनुमानित
- वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.03%
- वर्ष 2023-24 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.02%

प्रमुख योजनायें

नारी शक्ति

* मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु ₹ 8000 करोड़ का प्रावधान
* आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹ 2191 करोड़ का प्रावधान
* न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹ 1272 करोड़ का प्रावधान
* मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹ 929 करोड़ का प्रावधान
* आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु ₹ 870 करोड़ का प्रावधान
* प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु ₹ 467 करोड़ का प्रावधान
* मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु ₹ 400 करोड़ का प्रावधान

युवा शक्ति

* खेलों इंडिया एम.पी. हेतु ₹349 करोड़ का प्रावधान
* "मुख्यमंत्री कौशल एप्रेन्टिसशिप योजना" प्रारंभ - ₹ 1000 करोड़ का प्रावधान
* स्वरोजगार योजनाओं में 46 लाख 58 हजार आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ₹ 30 हजार 800 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत

शिक्षा

* सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना में वेतन हेतु ₹11406 करोड़ का प्रावधान
* माध्यमिक शालायें की स्थापना में वेतन हेतु ₹6728 करोड़ का प्रावधान
* समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹4039 करोड़ का प्रावधान
* शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹3552 करोड़ का प्रावधान
* सी. एम. राइज हेतु ₹3230 करोड़ का प्रावधान
* कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2381 करोड़ का प्रावधान
* मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
* पी.एम.श्री हेतु ₹277 करोड़ का प्रावधान
* वर्ष 2023-24 में नवीन योजना "मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना" प्रारंभ
* जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के वेतन हेतु ₹3813 करोड़ का प्रावधान
* जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत माध्यमिक शालाओं के वेतन हेतु ₹2221 करोड़ का प्रावधान
* जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं के वेतन हेतु ₹1089 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य

* राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु ₹3996 करोड़ का प्रावधान
* जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1486 करोड़ का प्रावधान
* स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु ₹1301 करोड़ का प्रावधान
* 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु ₹969 करोड़ का प्रावधान
* प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु ₹953 करोड़ का प्रावधान
* चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹1556 करोड़ का प्रावधान
* रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹418 करोड़ का प्रावधान
* आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु ₹342 करोड़ का प्रावधान

अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण

* ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान
* सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
* नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹750 करोड़ का प्रावधान
* अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु ₹739 करोड़ का प्रावधान
* मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹700 करोड़ तथा मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
* सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान

ऊर्जा

* विद्युत आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को एक वर्ष में लगभग 23 हजार 666 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है।
* 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹6935 करोड़ का प्रावधान
* रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु ₹3526 करोड़ का प्रावधान
* अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
* म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2300 करोड़ का प्रावधान

किसान शक्ति

* अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹ 5520 करोड़
* मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹3200 करोड़ का प्रावधान
* म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2475 करोड़ का प्रावधान
* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2001 करोड़ का प्रावधान
* निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹1250 करोड़ का प्रावधान
* मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
* सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
* गहन पशु विकास परियोजना हेतु ₹845 करोड़ का प्रावधान

नगरीय विकास

* प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
* हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹2800 करोड़ का प्रावधान
* १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹1093 करोड़ का प्रावधान
* स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹842 करोड़ का प्रावधान
* पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु ₹778 करोड़ का प्रावधान
* मेट्रो रेल हेतु ₹710 करोड़ का प्रावधान
* वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
* प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के अंतर्गत ₹750 करोड़ की लागत से सड़कों के उन्नयन एवं सुधार के लिये **"कायाकल्प अभियान"** प्रारंभ

ग्राम विकास

* प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹8000 करोड़ का प्रावधान
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹1826 करोड़ का प्रावधान
* प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु ₹801 करोड़ का प्रावधान
* राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹660 करोड़ का प्रावधान
* प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान

* १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹3083 करोड़ का प्रावधान
* स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹1906 करोड़ का प्रावधान
* ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु ₹881 करोड़ का प्रावधान
* जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹7332 करोड़ का प्रावधान
* पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु ₹703 करोड़ का प्रावधान
* ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय

* सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹1916 करोड़ का प्रावधान
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान

सांस्कृतिक पुनरूत्थान

* वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
* ओंकारेश्वर में **एकात्म-धाम** की स्थापना
* भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली-बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना
* **मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना** में तीर्थयात्रियों को वायुयान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित इस उद्देश्य हेतु रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
* प्रदेश, टाईगर स्टेट के साथ साथ अब देश का पहला **चीता स्टेट** भी बन गया है।

डिजीटल पहल

* कोषालयों से आधार सन्निहित (ए.ई.पी.एस.) एवं भारतीय रिजर्व बैंक (ई-कुबेर) से रियल टाइम में वास्तविक हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि हो। इस हेतु कोषालय के साफ्टवेयर का उन्नयन तथा क्रियान्वयन हेतु रुपये 300 करोड़ की परियोजना
* फॉरेस्ट ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से लकड़ी के ऑक्शन राजस्व न्यायालय की ऑनलाईन फैसलेस प्रणाली द्वारा भूमि नामांतरण आदि के लिए सायबर तहसील के कार्य डिजिटली
* प्रदेश में फसल सर्वेक्षण एवं फसल बीमा में सेटेलाइट इमेज एवं ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर किसानों को पारदर्शी तरीके से सुविधा प्रदाय
* राज्य स्तरीय स्टेट डाटा सेंटर के अधोसंरचना के विस्तार का कार्य एवं एक प्राइवेट क्लाउड की स्थापना।
* ई-पंजीयन सॉफटवेयर सम्पदा 2.0 के माध्यम से दस्तावेजों के फैसलैस पंजीयन तथा जी.आई.एस. आधारित सम्पत्ति मूल्यांकन हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाना प्रस्तावित
* प्रदेश में सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, शुद्ध एवं शीघ्र करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में CORS (Continuous Operating Reference Station) नेटवर्क स्थापित करने की योजना क्रियान्ति

ग्रीन बजट

* 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को चालन से हटाने एवं उन्हें वैज्ञानिक रीति से नष्ट करने की नीति लागू किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रदेश में **इलेक्ट्रिक वाहन** को बढ़ावा ।
* माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन वृक्षारोपण किये जाने की प्रेरणा से प्रारंभ **अंकुर अभियान**
* वनों का संरक्षण एवं संवर्धन योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जायेगा। वर्ष 2023 में वन क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख एवं गैर-वन क्षेत्रों में 10 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य
* प्रदेश के नीमच जिले में 500 मेगावॉट, आगर जिले में 550 मेगावॉट एवं शाजापुर जिले में 450 मेगावॉट की सौर पार्क परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है।
* प्रदेश के औंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित बॉध के बैक वाटर पर रूपये 3 हजार 600 करोड की लागत से विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावॉट क्षमता के फ्लोटिंग सौर पार्क की स्थापना का कार्य
* मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर साँची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने का कार्य
* प्रदेश में विद्युत खपत की मांग संतुलित करने की दृष्टि से नवीन तकनीक के रूप में पम्प्ड हाईड्रोस्टोरेज की परियोजना हेतु नीति लागू।